

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
थराली।

पत्रांक: 441 / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2015-16,
2015-

दिनांक 5 जनवरी, 2016

विषय: जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्टी-कस्बीनगर मोटर मार्ग
समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 2151/36 सी. सी0, दिनांक 28.12.2015, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्टी-कस्बीनगर मोटर मार्ग समरेखण स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त मोटर मार्ग समरेखण स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर सर्वेक्षण आख्या सुलभ संदर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक : / जि0टा0फो0 / मोटर मार्ग / 2015-16 तददिनांकित।

- प्रतिलिपि : 1. जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

Photocopy attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली)

रिपोज, स्वाइल इरोजन होने से परिवर्तित हो सकता है तथा मोटर मार्ग कटाव के शीघ्र पश्चात् अपस्लोप में सुरक्षा धारक दीवारों का निर्माण किया जाना आवश्यक होगा।

स्थल के समीपवर्ती भूभाग में स्थानीय प्रजाति का घना वन क्षेत्र विद्यमान है अतः वर्षाकाल में स्थल पर अधोभूमि जल रिसाव व सतही जल प्रवाह की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है जिससे स्थल पर मृदा अपरदन की सम्भावना में वृद्धि हो सकती है।

उक्त स्थल पर किसी भी निर्माण से पूर्व निम्नलिखित सुझाव एवं शर्तों का पालन किया जाय :

1. समरेखण स्थल वन भूमि होने की दशा में माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप वन विभाग से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. चूंकि स्थल भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः लघु से मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल के प्रभावित होने की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता है।
3. मोटर मार्ग समरेखण में विस्फोटकों का प्रयोग न किया जाय।
4. मोटर मार्ग कटाव के पश्चात् शीघ्र पक्का कर सतही जल प्रवाह/अधोभूमि जल रिसाव को अन्दरूनी पहाड़ी ढाल की दिशा में पक्की ड्रेनेज नालियों द्वारा नियन्त्रित कर सतही जल प्रवाह को सुरक्षित स्थल/नालों में छोड़ा जाय।
5. मोटर कटाव से निर्मित तीव्र ढालों को टो सपोर्ट शीघ्र दिया जाय ताकि वर्षाकाल में मड/मृदा/मलवा, समीप की आबादी व कृषियुक्त भूमि को असुरक्षित न करे।
6. मोटर मार्ग कटाव के बाद टो सपोर्ट वाल का निर्माण आवश्यक होगा ताकि लम्बे कटाव अन्तराल से भूकटाव वाले भूभाग (मदर स्वाइल) पुनः स्थिर हो सके।
7. उक्त मोटर मार्ग समरेखण में अधिकांश भूभाग मृदा बाहुल्य क्षेत्र के रूप में विद्यमान है अतः मोटर मार्ग कटाव में स्वाइल मैकेनिक्स के सुरक्षित व लॉजिकल सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए मोटर मार्ग निर्माण कार्य किया जाय।
8. मोटर मार्ग के अपस्लोप व डाउनस्लोप में रिटेनिंग व ब्रेस्टवालों का निर्माण (वीप होल्स सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) किया जाय।
9. मार्ग से ऊपर व नीचे पहाड़ी ढलान पर जहाँ आवश्यक हो समुचित पौधों का रोपण किया जाय जिससे ढलानों पर भूक्षरण की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके।
10. पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग निर्माण के लिए प्रस्तावित सिविल भूअभियांत्रिकी के अन्य मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।
11. समरेखण में बनाये जाने वाले सुरक्षा धारक दीवारों/टो वाल, ब्रेस्टवाल, रिटेनिंग वाल (वीप हॉल सहित व स्क्रीनिंग मटिरियल के साथ) के आधार को सुरक्षा प्रदान करना हेतु प्रस्तावित स्थलों में जल निकासी की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि ऊपर

Photo copy attached

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
अथराली (चमोली)

दीवार के आधार की ओर न जाने पाय तथा ढालदार क्षेत्र के सतही एवं अन्तर सतही जल को चैनलाइज करने हेतु उचित प्रबन्ध पूर्व में ही किये जाय।

12. मोटर मार्ग समरेखण स्थल का मलवा पहाड़ी ढाल पर न फैलाकर किसी सुरक्षित स्थल पर बिछाया/इकट्ठा किया जाय तथा मड फलो से बचने के लिए पूर्व में ही आवश्यक प्रबन्ध कर लिये जाय।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर समरेखण स्थल, वर्तमान परिस्थितियों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।



(अमित गौरव)

सहायक भूवैज्ञानिक

Photocopy attached



सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो० नि० वि०

थराली (चमोली)

नि0आ0सं0-- / जि0टा0फो0 च0 / रू0 / मोटर मार्ग / 2015-1

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्ती-कस्बीनगर मोटर मार्ग समरेखण विस्तार हेतु (लगभग 02 कि0मी0) स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या

अधिशाली अभियंता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली के पत्र संख्या 2151/36 सी0, दिनांक 28.12.2015, जो कि सहायक भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) को सम्बोधित व सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली को पृष्ठांकित है तथा जिसके द्वारा जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत लोल्ती-कस्बीनगर मोटर मार्ग समरेखण विस्तार हेतु (लगभग 02 कि0मी0) स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री पंकज रावत, कनिष्ठ अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थराली की उपस्थिति में भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या निम्नवत है :-

प्रस्तावित मोटर मार्ग समरेखण लोल्ती-मालबज्वाड़ मोटर मार्ग के मध्य में बाईफरकेशन मोटर मार्ग कस्बीनगर तक पूर्व निर्मित मोटर मार्ग से आगे निर्माण कार्य किया जाना है जिसमें मोटर मार्ग की कुल लम्बाई लगभग 2.000 कि0मी0 प्रस्तावित है। कस्बीनगर तक पूर्व में लगभग 2.500 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किया गया है जिससे आगे मोटर मार्ग का विस्तार किया जाना है। उक्त मोटर मार्ग समरेखण को 05 एच0पी0 बैण्ड्स के साथ निर्मित किया जाएगा जो कि लगभग दो पहाड़ी ढालों पर किया जाना है। उक्त के मध्य कतिपय स्थलों पर ग्रामीणों के भवन, समरेखण स्थल के अपस्लोप व डाउनस्लोप में निर्मित हैं। एच0पी0 बैण्ड्स का निर्माण इस प्रकार किया जाय कि हेयरपिन बैण्ड्स एक दूसरे के ऊपर अवस्थित न हों। मोटर मार्ग समरेखण क्षेत्र में उच्च हिमालयी प्रजाति के वृक्षों का घना वन अवस्थित है जिसमें बांज इत्यादि स्थानीय प्रजाति के वृक्ष उगे हुये दृष्टिगोचर हो रहे हैं तथा यदा-कदा शीतकाल के दौरान उक्त क्षेत्र हिमान्छादित हो जाता है। स्थल पर मृदा की गहराईयुक्त परत कतिपय स्थलों पर विद्यमान है।

मोटर मार्ग समरेखण के स्थलीय निरीक्षण के दौरान उपस्थित विभागीय कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त समरेखण स्थल ग्रामीणों के खेतों के मध्य भूभागों से होकर गुजारा जाना है तथा सम्पूर्ण पहाड़ी ढाल पर सीढ़ीनुमा भूआकृति के खेत अवस्थित हैं जो कि प्रथम दृष्ट्या सतह पर मृदा बाहुल्य क्षेत्रों के रूप के रूप में दृष्टिगोचर तथा वर्तमान समय में स्थिर एंगिल ऑफ रिपोज के साथ प्रतीत होते हैं। स्थल पर मृदा का रंग भूरा प्रकृति का दृष्टिगत हो रहा है।

स्थल का सामान्य पहाड़ी ढाल लगभग 10° - 35° उत्तरपूरव विद्यमान है जो कि कतिपय स्थलों पर कम ढाल के साथ भी दृष्टिगत हो रहे हैं। उक्त स्थल की अधोभूमि व समीपवर्ती भूभाग में शिष्टोज क्वार्ट्जिटिक, नाइसिस प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं जिनकी नति कतिपय स्थलों पर पहाड़ी ढाल के समान्तर व ऑर्बलिक विद्यमान है। पहाड़ी ढाल के समान्तर चट्टानों की नति एक प्रतिकूल परिस्थिति है। मोटर मार्ग समरेखण व अधोभूमि अवस्थित चट्टानों की प्रसार व नति मोटर मार्ग कटाव के प्रारम्भ में 325° / 40° उत्तरपूरव विद्यमान है। मोटर मार्ग कटाव के पश्चात अपस्लोप व डाउनस्लोप का आंशिक प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि मोटर मार्ग कटाव के पश्चात वर्तमान में स्थल की

Photocopy attested

सहायक अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0

थराली (चमोली)